राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक–एफ.15(7)/(6)लाईटस/विधि/आईसीडीएस/2018/155566 जयपुर,दिनांकः 10/8/18

बैठक कार्यवाही विवरण

विषयः– वैबसाईट (Lites) में इन्द्राज, अपडेट आदि के संबंध मे विडियो कॉन्फ्रेंस बाबत।

कॉन्फ्रेस दिनांक :– 07.08.2018

अध्यक्षता :– श्रीमती बिन्दु करूणाकर, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाऐं राजस्थान, जयपुर

विभाग से संबंधित न्यायिक प्रकरणो की सूचनायें लाईट्स वेबसाईट में फीड/अपडेट करने की स्थिति की समीक्षा, न्यायिक प्रकरणों की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक प्रभारी अधिकारी द्वारा लाईटस वेबसाईट पर दर्ज करने आदि के सबंध में उप निदेशक, मबावि चितौडगढ, प्रतापगढ, भरतपुर, टोंक (विडियो कॉन्फेसिंग कनेक्ट नहीं होने के कारण) के अलावा समस्त उप निदेशक, मबावि राजस्थान से जरिये विडियो कॉन्फ्रेस निम्नानुसार कार्यवाही बाबत निर्देशित किया गया:–

1. अवमानना प्रकरणो के सबंध में निर्देशित किया गया कि विभाग के लम्बित सभी अवमानना प्रकरणों में संबंधित अति. महाधिवक्ता/अति. राजकीय अधिवक्ता से लगातार सम्पर्क रखते हुए जवाबदावा प्रस्तुत कराने की कार्यवाही करावें। साथ ही यह निर्देश दिये कि जिन प्रकरणो में विभाग द्वारा अपील पेश करने का निर्णय लिया हुआ है उनमें संबधित अधिवक्ता से सम्पर्क कर स्थगन प्राप्त करने की कार्यवाही करावे। नियमित रूप से अवमानना प्रकरणो की तारीख पेशीयॉ लाईटस वेबसाईट पर अपडेट करे तथा जिन अवमानना प्रकरणो का निस्तारण हो चुका है उनके निस्तारण का इन्द्राज लाईटस वेबसाईटस पर करावे।
2. विभागीय न्यायिक प्रकरणो में जवाबदावे के संबंध में निर्देशित किया गया कि जिन प्रकरणो में जवाब पेश करवाया जा चुका है उसका इन्द्रज लाईटस सॉफ्टवेयर पर करावे तथा जिन प्रकरणो में अभी तक जवाब पेश नहीं कराया है उनमें संबंधित प्रभारी अधिकारी 3 दिवस में संबंधित अधिवक्ता से सम्पर्क कर नियमानुसार जवाबदावा प्रस्तुत कराने की कार्यवाही करावे तथा न्याय विभाग की वेबसाईटस पर जवाब पेश करने का इन्द्राज करावे।
3. लाईटस वेबसाईटस पर आईसीडीएस से संबंधित पालना से शेष प्रकरणो की दिनांक 07.08.2018 को संख्या 95 दर्शित हो रही है। निर्धारित समयावधि में पालना नहीं करवाने/वेबसाईटस पर अपडेट नही करने को प्रमुख शासन सचिव, मबावि ने अत्यन्त गंभीरता से लिया हैं, इसलिए निर्देशित किया गया कि 10 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से पालना की स्थिति वेबसाईटस पर अपडेट की जावे।
4. अपील करने से शेष प्रकरणो की दिनांक 07.08.2018 को संख्या 4 दर्शित हो रही है इस स्थिति को तत्काल अपडेट किया जावे।
5. रिट/वाद/अपील के अलावा प्रकरणो की आगामी प्रगति यथा जवाबदावा, दस्तावेजात व निर्णय की प्रतियॉ न्याय विभाग की वेबसाईटस पर अपलोड करावे, प्रत्येक प्रभारी अधिकारी द्वारा लाईटस वेबसाईटस पर मासिक प्रगति रिपोर्ट दर्ज करवाई जावे। 10 वर्ष से व 20 वर्ष

से अधिक अवधि से लम्बित जो प्रकरण वेबसाईटस पर दर्शित हो रहे है उन्हे अपडेट करने की कार्यवाही करवाई जावे व उनकी नवीनतम तथ्यात्मक स्थिति संबंधित अधिवक्तागण को उपलब्ध करवाई जावे।

6. अधिकांश उप निदेशको द्वारा लाईटस वेबसाईटस मे इन्द्राज बाबत समस्त प्रभारी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाये जाने का अनुरोध किया गया। इसलिए लाईटस वेबसाईट्स में इन्द्राज आदि बाबत 2–3 जिलेवार प्रशिक्षण हेतु कार्य योजना तैयार करवाकर प्रशिक्षण दिये जाने की कार्यवाही की जावे।

अन्त में विडियो कॉन्फ्रेंस सधन्यवाद समाप्त हुई।

(बिन्दु करूणाकर)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक–एफ.15(7)/(6)/लाईटस/विधि/आईसीडीएस/2018/155567–514 जयपुर,दिनांकः 10/8/18

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मबावि, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, न्याय विभाग, जयपुर।
3. राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी एवं वरिष्ठ शासन उप सचिव, मबावि राज. जयपुर।
4. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
5. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
6. उप निदेशक एवं एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(बिन्दु करूणाकर)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान जयपुर